न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 171/2020 (2020/00667) दायर दिनांक 11.11.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

शीर्षक

1. हगामी जोजे जवाहरमल जाट निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद हाल निवास खांखलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

––प्रार्थीया

बनाम

1. मु0 मांगी पुत्री नानु जाट निवासी खांखलां की बाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
2. मु0 चन्द्री बेवा नानु जाट निवासी खांखलां की बाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता प्रार्थीगण : श्री महेश दाधीच
अधिवक्ता विपक्षी सं0 1 से 2 : श्री पर्वतसिंह चुण्डावत
: पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांकः–02.03.2021

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ममता नगर, पटवार क्षेत्र खांखलां तह. सहाडा में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों की आराजी संख्या 2909 रकबा 0.54 है0 किस्म नहरी द्वितीय जिसकी नकल जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 की प्रस्तुत है।

प्रार्थीया अपनी आराजियात में विपक्षी संख्या एक लगायत दो के नाम अभिलिखित आराजी संख्या 2908 रकबा 0.53 से आवागमन करती आ रही है तथा उक्त आराजी के पूर्वी हिस्से पर डॉट लाईन की हुई है तथा सदैव से इसी आराजी से आवागमन करती आ रही है। बन्दोबस्त के पूर्व एक ही नम्बर था, बन्दोबस्त के बाद अलग–अलग नम्बर अंकित हो गये है। प्रार्थीया सदैव संजबैल, गाड़ियों से विपक्षीगण की आराजियात में आवागमन करती आ रही है।

यह कि प्रार्थीया की आराजी संख्या 2909 में विपक्षीगण की आराजी संख्या 2908 के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा सबसे नजदीक रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 2908 में ही चला आ रहा है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिससे न्यायहित में प्रार्थीया को 20 फिट का रास्ता पूर्वी मेड़ से दिलाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

यह कि क्षतिपूर्ति की जो भी राशि विपक्षीगण की आराजियात में रास्ते के लिये निर्धारित होगी प्रार्थीया अदा करने के लिये तत्पर है व रास्ते को बिलानाम दर्ज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Ranchoii
Date: 2021.07.09 15:31:15 IST
Reason: SelfAttested

1.

उपखण्ड अधिकारी
जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया ने प्रा. पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण संख्या एक लगायत दो की आराजी संख्या 2908 की पूवी मेड 20 फिट का रास्ता आवागमन के लिए प्रार्थीया को दिलाया जावे व नक्शें में रास्ता फीट करके बिलानाम रास्ता दर्ज किया जावें।

प्रा. पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11.11.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित। जवाब पेश कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए सव्यय खारिज किये जाने बावत् निवेदन किया। पेरोकार सरकार उपस्थित। औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती है। तथा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 22.01.2021 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम ममता नगर प0ह0 खांखलां के आराजी नं0 2908 पर वर्तमान में कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। यह कि मौके पर आराजी नं0 2909 में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं होकर रास्ता बंद है। यह कि मौके पर प्रार्थीया द्वारा बताये गये रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है जो प्रार्थीया द्वारा आराजी नं0 2908 में बताया गया। यह कि मौके पर उक्त आराजी नं0 2909 में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थीया द्वारा स्वयं की भूमि में आवागमन नहीं किया जा रहा है। यह हैं कि रास्ते हेतु आराजी नं0 2908 में से 20 फीट चौड़ाई में 0.04 हे0 भूमि प्रभावित होती है। ग्राम ममता नगर की सिंचित पास की डी0एल0सी0 दर 348774/— प्रति हैक्टयर है। जिसके अनुसार रास्ते हेतु प्रभावित 0.04 हे0 भूमि की डी0एल0सी0दर के अनुसार मालीयत 13951/—होती है। इसकी दुगुनी राशि 27909/— होती है। यह कि उक्त प्रस्तावित रास्ते को राजस्व नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह कि मौके पर उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थीया एंव विपक्षीगण के अधिवक्ता तथा पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थीया के अधिवक्ता ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया । तथा प्रार्थना पत्र को मौका रिपोर्ट अनुसार स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। विपक्षीगण के अधिवक्ता ने जवाब को दोहराते हुए प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थीया व पेरोकार सरकार द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। मौका रिपोर्ट के अवलोकन पर जाहिर होता है कि ग्राम ममता नगर प0ह0 खांखलां के आराजी नं0 2908 पर वर्तमान में कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। मौके पर आराजी नं0 2909 में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं होकर रास्ता बंद है। प्रार्थीया द्वारा बताये गये रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है जो प्रार्थीया द्वारा आराजी नं0 2908 में बताया गया। उक्त आराजी नं0 2909 में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थीया द्वारा स्वयं की भूमि में आवागमन नहीं किया जा रहा है। जिससे रास्ते हेतु आराजी नं0 2908 में से 20 फीट चौड़ाई में 0.04 हे0 भूमि का नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है अतः उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है। अतएवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.09 15:31:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
...पुर जिला भीलवाड़ा

2

प्रकरण संख्या :—171 / 2020 (220 / 00667)
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

:: आदेश ::

प्रार्थीया का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का स्वीकार किया जाता है। ग्राम ममता नगर की आराजी संख्या 2909 में आने जाने के लिऐ विपक्षीगण की ग्राम ममता नगर की आ. न. 2908 में से 20 फीट चौड़ाई में 0.04 हे0 भूमि रास्ता हेतु उपयोग में आयेगी जिसकी डी0एल0सी0दर 388774 / — है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार बनने वाली भूमि की डी0एल0सी0दर के अनुसार मालीयत 13951 / —होती है। इसकी दुगुनी राशि 27909 / —प्रार्थीया विपक्षीगण खातेदार न. 1 व 2 को भुगतान करने के पश्चात उक्त 0.04 हैक्ट. भुमि को मौके रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस में वर्णितानुसार बिलानाम ` गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थी से उक्तानुसार राशि 27909 / — प्रार्थीया से वसुल कर विपक्षीगण नं0 1 व 2 को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें विपक्षीगण द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोश में जमा करवाई जाकर ग्राम ममता नगर की आ. न. 2908 में से 20 फीट चौड़ाई में 0.04 हे0 भूमि को मौका रिपोर्ट में वर्णितानुसार गै0मु0 सार्वजनिक रास्ता दर्ज करें तथा तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 मेंरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाडा

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.09 15:31:15 IST
Reason: SelfAttested